

विषय सूची

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		vii
कार्यपालन सारांश		ix
अध्याय 1		
राज्य सरकार के वित्त		
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1	1
राजकोषीय लेनदेनों का सारांश	1.1.1	2
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.1.2	3
बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े	1.1.3	6
जेण्डर बजटिंग	1.1.4	7
राज्य के वित्तीय संसाधन	1.2	8
वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन	1.2.1	8
राजस्व प्राप्तियाँ	1.2.2	10
पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ	1.2.3	14
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.3	16
व्यय की वृद्धि एवं संरचना	1.3.1	16
राजस्व व्यय	1.3.2	17
पूँजीगत व्यय	1.3.3	17
प्रतिबद्ध व्यय	1.3.4	17
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.)	1.3.5	18
व्यय की गुणवत्ता	1.3.6	21
व्यय के उपयोग की दक्षता	1.3.7	22
शासकीय व्यय एवं निवेश	1.4	22
सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम	1.4.1	22
निवेश एवं प्रतिलाभ	1.4.2	23
राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा अग्रिम	1.4.3	23
मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल को वित्तीय सहायता	1.4.4	24
सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाएं	1.4.5	26
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश	1.4.6	26
परिसम्पत्तियाँ तथा देयताएं	1.5	27
परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की वृद्धि एवं संरचना	1.5.1	27
आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन-देन	1.5.2	27
ऋण प्रबंधन	1.6	32
ऋण रूपरेखा	1.6.1	32
लोक ऋण एवं लोक लेखा देयताओं के कारण उपलब्ध निवल निधि	1.6.2	32
ऋण संधारणीयता	1.6.3	33

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय)	1.6.4	34
अध्याय 2		
वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण		
विनियोग लेखे का सारांश	2.1	35
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.2	36
आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है बचतें	2.2.1	36
सतत बचतें	2.2.2	36
योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान	2.2.3	37
अनावश्यक / अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान	2.2.4	37
निधियों का अत्यधिक / अनावश्यक पुनर्विनियोग	2.2.5	37
सारभूत समर्पण	2.2.6	37
वास्तविक बचत से अधिक समर्पण	2.2.7	38
समर्पित न की गई प्रत्याशित बचतें	2.2.8	38
व्यय का गलत वर्गीकरण	2.2.9	38
व्यय की अत्यधिकता	2.2.10	39
निधियों का आहरण एवं सिविल जमा में रखना	2.2.11	39
चयनित अनुदान की समीक्षा का परिणाम	2.3	40
सारांशीकृत स्थिति	2.3.1	40
सारभूत बचतें	2.3.2	41
विभिन्न योजनाओं में अप्रयुक्त प्रावधान	2.3.3	41
व्यक्तिगत जमा खाते में निधियों का रखा जाना	2.3.4	42
अनुपूरक / पुनर्विनियोग अनुदान के लिए त्रुटिपूर्ण प्रावधान	2.3.5	42
ब्याज के भुगतान के कारण राज्य की समेकित निधि पर अतिरिक्त भार	2.3.6	42
निष्पादन अनुदान के विरुद्ध बजट प्रावधान समर्पित नहीं किया जाना	2.3.7	43
अध्याय 3		
वित्तीय प्रतिवेदन एवं लेखों पर टिप्पणी		
सभी भौतिक वेतन प्रमाणकों और ₹ 20,000 तक के आकस्मिक प्रमाणकों को बंद किया जाना	3.1	45
व्यक्तिगत जमा खातों का संधारण	3.2	45
असंचालित व्यक्तिगत / शैक्षणिक जमा खाते	3.2.1	46
शासकीय धन को व्यक्तिगत जमा खाते के स्थान पर अनधिकृत रूप से बैंक खातों में रखा जाना	3.2.2	46
व्यक्तिगत जमा खातों के कोषालय आंकड़ों एवं महालेखाकार के आंकड़ों का मिलान न होना	3.2.3	47
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर	3.3	47
उपकर का लेखांकन	3.3.1	48

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
श्रम उपकर की उपयोगिता	3.3.2	48
एकत्रित उपकर मण्डल को अंतरित न किया जाना	3.3.3	49
कालातीत चैकों के कारण देयताओं की वसूली न होना	3.3.4	49
लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र	3.3.5	50
शासकीय लेखों में अपारदर्शिता	3.4	50
आयोजना/आयोजनेतर के अन्तर्गत उप मुख्य शीर्ष का गलत संचालन	3.5	51
पूँजीगत शीर्ष से राजस्व प्रकृति के होने वाले व्यय	3.5.1	52
उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की अप्रस्तुति	3.6	52
असत्य उपयोगिता प्रमाण—पत्रों का प्रस्तुतीकरण	3.6.1	53
दुर्विनियोग, हानियाँ एवं गबन इत्यादि की सूचना	3.7	54
रोकड़ शेष में भिन्नता	3.8	55
विभागीय प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान	3.9	56
अस्थायी अग्रिमों का समायोजन	3.10	56
पूर्व वर्ष के दायित्वों का भुगतान आगामी वर्ष के बजट से किया जाना	3.11	57
बैंक खातों का अनियमित संधारण	3.12	58
बजट अनुदानों को व्यपगत होने से रोकने के लिए निधियों को बैंक खाते में रखना	3.12.1	58
पंचायती राज संस्थानों के विभिन्न योजनाओं की निधि को रखा जाना	3.12.2	59
राज्य विधानमण्डल में स्वायत्त निकायों के पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखने की स्थिति	3.13	59
राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	3.14	60
राज्य के पुनर्गठन पर शेषों का विभाजन	3.15	61
विभागों द्वारा रोकड़ पुस्तिकाओं का अनुचित संधारण	3.16	62
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों को अंतिम रूप देने में विलंब	3.17	62
लाभांश घोषित न किया जाना	3.18	64
समता पूँजी/ऋणों/प्रत्याभूतियों का मिलान न करना	3.19	64

परिशिष्ट

विवरण	परिशिष्ट	पृष्ठ क्रमांक
राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)	1.1	67
सरकारी लेखों की संरचना	1.2 (भाग—क)	68
वित्त लेखों की रूपरेखा	1.2 (भाग—ख)	68
चयनित शब्द जिनका प्रयोग राजकोषीय संचय की रूपरेखा तथा पद्धति के मूल्यांकन में किया गया है, की परिभाषा	1.2 (भाग—ग)	69
वर्ष 2017–18 के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ समग्र राजकोषीय स्थिति का सार	1.3	70
2017–18 हेतु बजट अनुमानों की वास्तविकता से तुलना	1.4	73
राज्य सरकार के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े	1.5	75
स्वयं के कर राजस्व 2013–18	1.6 (क)	78
करेतर राजस्व 2013–18	1.6 (ख)	78
31 मार्च 2018 को विभिन्न विभागों के अंतर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं की स्थिति	1.7	79
31 मार्च 2018 को मध्य प्रदेश सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति	1.8	80
आरक्षित निधियों का विवरण	1.9	82
पिछले वर्षों में प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है	2.1	84
विभिन्न अनुदानों/विनियोगों, जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थीं, का विवरण पत्रक	2.2	85
विभिन्न अनुदानों/विनियोगों, जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 100 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थीं, का विवरण पत्रक	2.3	87
सतत बचत दर्शाने वाले अनुदान	2.4	88
योजनाएं जिनमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा	2.5	89
प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	2.6	93
प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक)	2.7	94
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक)	2.8	95
2017–18 के दौरान सारभूत समर्पण	2.9	99
वास्तविक बचतों से अधिक समर्पण (₹ 10 लाख या अधिक)	2.10	105
विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण पत्रक जिनमें बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) हुईं, परन्तु उसके किसी भी भाग का समर्पण नहीं किया गया	2.11	106

विवरण	परिशिष्ट	पृष्ठ क्रमांक
समर्पित नहीं की गई ₹ एक करोड़ या अधिक की बचतों का विवरण	2.12	107
समर्पण आदेश जो महालेखाकार द्वारा स्वीकृत नहीं किये गये	2.13	110
पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत राजस्व अनुभाग का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक जहाँ बजट प्रावधान ₹ एक करोड़ या अधिक था	2.14	111
राजस्व अनुभाग के अंतर्गत मशीन एवं वृहद् कार्य का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक जहाँ बजट प्रावधान ₹ एक करोड़ या अधिक था	2.15	112
व्यय की अत्यधिकता	2.16	113
8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में निधियों का अंतरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.17	114
विभिन्न योजनाओं में सारभूत बचतें, जहाँ बचत ₹ 10 करोड़ या अधिक थी	2.18	115
व्यक्तिगत जमा खातों में रखे योजनाओं की निधि का विवरण	2.19	116
31 मार्च 2018 की स्थिति में व्यक्तिगत जमा खातों में अंतर	3.1	117
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण (मण्डल) में लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की स्थिति	3.2	118
लघु शीर्ष '800—अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत पुस्तांकन	3.3	120
लघु शीर्ष '800—अन्य व्यय' के अंतर्गत पुस्तांकन	3.4	121
लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की मुख्य शीर्षवार स्थिति	3.5	122
दुर्विनियोग, हानि एवं गबन इत्यादि के प्रकरण	3.6	123
सरकारी सामग्रियों की चोरी, दुर्विनियोग, हानि के प्रकरण	3.7	125
2017–18 के दौरान अपलेखित प्रकरण	3.8	126
2017–18 के दौरान हानि के मामलों में सूचित की गई वसूली	3.9	127
रोकड़ पुस्तिकाओं का अनुचित संधारण/संधारण न किया जाना	3.10	129
31 दिसम्बर 2018 की स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिनके लेखे बकाया हैं, में राज्य सरकार का निवेश	3.11	131
लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण	3.12	133

